क्रमांकःसामान्य/2022/3501 15, दिसम्बर, 2022

:: आदेश ::

जिले में संचालित कोचिंग संस्थानों पर प्रभावी नियंत्रण तथा इनमे अध्ययनरत/निवासरत विद्यार्थियों को मानसिक सम्बलन एवं सुरक्षा प्रदान करने हेतु संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग जयपुर के पत्रांक प.11(99)शिक्षा–4/वि.प्र./जेपी/2021 दिनांक 11.11.2022 से जारी दिशा–निर्देश 2022 की अनुपालना में जिले में संचालित कोचिंग संस्थानों को निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाकर निर्देशित किया जाता है कि दिशा–निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करे :–

1. कोचिंग कर रहे विद्यार्थियों को आईआईटी एवं मेडिकल संस्थानों के अलावा कैरियर के अन्य विकल्पों की जानकारी दिये जाने की व्यवस्था कोचिंग संस्थानों में ही काउंसलिंग या अन्य मुद्रित सामग्री से की जावें ताकि विद्यार्थी अपने भविष्य के प्रति तनावग्रस्त नहीं हो और वे नया विकल्प चुन सकें।
2. प्रवेश परीक्षाओं के परिणामों का मिथ्या एवं बढा–चढा कर प्रचार नहीं किया जावें तथा कोचिंग संस्थान IIT-JEE, NEET प्रवेश परीक्षाओं के लिये कोचिंग संस्थानों की (Success Rate) सफलता–दर को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेगें।
3. कोचिंग संस्थानों द्वारा किसी भी प्रकार के विज्ञापन में यह Disclaimer आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जावेगा कि उनका संस्थान चिकित्सा एवं इंजीनियरिंग इत्यादि कॉलेजो में प्रवेश तथा भर्ती परीक्षाओं में चयन की कोई गारंटी नहीं देता है। सभी प्रकार के विज्ञापनों की प्रति जिला स्तरीय समिति को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
4. विद्यार्थी की रूचि और Aptitude की जांच हेतु केरियर एवं व्यावसायिक काउन्सलर की सेवाऐं ली जाकर विद्यार्थियों के Aptitude व रूचि का आकलन कराया जाकर विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों के साथ रखा जाकर सर्वोत्तम विकल्प चुनने का अवसर दिया जावें।
5. कोचिंग संस्थानों में प्रवेशित विद्यार्थियों व उनके अभिभावको के लिए आमुखीकरण कार्यक्रम (Orientation Programme) के आयोजन हेतु कोचिंग संस्थानों द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जावें:–
   - शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विद्यार्थियों को शैक्षणिक वातावरण, सांस्कृतिक रहन–सहन व सामाजिक ढांचे के बारे में प्रारंभिक जानकारी दिये जाने हेतु विद्यार्थियों के विभिन्न बैच बनाकर कार्यशाला आयोजित की जावें। कार्यशालाओं के कार्यक्रम व आयोजन की सूचना जिला प्रशासन–पुलिस विभाग, नियुक्त नोडल अधिकारी को आवश्यक रूप से दी जावे।
   - कोचिंग संस्थानों के व्यस्त अध्ययन कार्यक्रम के साथ–साथ विद्यार्थियों को यह भी जानकारी दी जावें कि विद्यालय स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी और उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए की जाने वाली तैयारी में बहुत अन्तर है, उन्हें वास्तविकता बतलाई जावें।
   - विद्यार्थियों को शहर में उनके लिए उपलब्ध Support System यथा–कोचिंग फैकल्टी, पी.जी. व छात्रावासों के संचालनकर्ता, अच्छे मित्र व माता–पिता की सहायता व मार्गदर्शन के महत्त्व के बारे में जानकारी अवश्य दी जावें।
   - कोचिंग संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों के अभिभावकों का भी आमुखीकरण (Orientation) कराया जाये। जिसमें निम्नांकित बिन्दुओं के बारे में पूर्ण जानकारी दी जावें:–
     - अभिभावकों को उनके बच्चों के व्यस्त अध्ययन Support systems से भली–भांति परिचय दिया जावें, साथ ही कोचिंग संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं, छात्रावासों व पेईंग–गेस्ट सुविधाओं व उनके नियमों/प्रतिबन्धों तथा दैनिक व्यय की जानकारी भी दी जावें।
     - अभिभावकों को यह भी स्पष्ट रूप से समझाया जाये कि बच्चों में न तो मानसिक दबाव बनाए और न ही अपनी अपेक्षाओं को बच्चों के सामने बार–बार दोहराएं। उन्हें इसके नकारात्मक प्रभाव बताये जावें।

- अभिभावकों को उनके बच्चों हेतु उपलब्ध अन्य बेहतर वैकल्पिक केरियर (Career) की जानकारियॉ उपलब्ध कराई जावें ।

- कोचिंग संस्थान Easy Exit Policy व फीस रिफण्ड के संबंध में विद्यार्थियों व अभिभावकों को संस्थान में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान ही स्पष्ट नीति व प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया जाना सुनिश्चित करेगे तथा इसे ब्रोशर में भी सम्मिलित करेगें।
- निर्धारित अवधि के बीच में कोचिंग छोड़ने की स्थिति में विद्यार्थियों को शेष अवधि की जमा फीस मासिक गुणक में 10 दिवस की अवधि में लौटाई जाएगी। यदि विद्यार्थी कोचिंग संस्थान के होस्टल में रह रहा है तो हॉस्टल फीस व मैस फीस आदि भी लौटाई जावेगीं।
- कोचिंग संस्थान कक्षा–कक्षों की व्यवस्था इस प्रकार करावें कि उनमें विद्यार्थियों की संख्या किसी भी दशा में 100 से अधिक नहीं हो, यह संस्था प्रधान द्वारा सुनिश्चित किया जावें।
- कोचिंग संस्थान में प्रत्येक 50 बच्चों पर एक मेंटर नियुक्त किया जाकर नियमित मॉनिटरिंग की जावें ।
- कोचिंग संस्थान में प्रवेश से पूर्व प्रत्येक विद्यार्थी का बॉयोमैट्रिक उपस्थिति आवश्यक रूप से दर्ज करवाई जावें, साथ ही 2 दिवस से अधिक अनुपस्थित छात्र/अभिभावक से व्यक्तिगत दूरभाष वार्तालाप कर उसकी अनुपस्थिति की जानकारी प्राप्त की जावें।
- प्रत्येक दिवस विद्यार्थियों को कोचिंग प्रारंभ होने से पूर्व विद्यार्थियों हेतु 05–10 मिनट योगा/मोटिवेशन कार्यक्रम आयोजित किया जावें ।
- कोचिंग संस्थान द्वारा विद्यार्थी के परीक्षा टेस्ट के रिजल्ट्स में रैंक जारी नहीं की जाकर और रिजल्ड विद्यार्थी को स्वयं को ही सूचित किया जावें, सार्वजनिक नहीं किया जावें।
- Batch Segregation से बच्चों में अत्यधिक मानसिक दबाव बढ़ जाता है जो उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अतः Test Result के आधार पर बैच Segregration किसी भी दशा में नहीं किया जावें ।
- कोचिंग संस्थान एक ऐसा Feedback Mechanism तैयार करे जिससे शिक्षक अत्यन्त संवेदनशीलता के साथ विद्यार्थियों को उनकी कमियों को प्रभावी व सकारात्मक ढंग से बता सके। इस हेतु शिक्षकों को भी मनोविशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिलाया जावें।
- विद्यार्थियों की शंकाओं के समाधान उन्हीं शिक्षकों से कराया जाये, जिन्होंने कक्षा में पढ़ाया है ताकि विद्यार्थी संतुष्ट हो सके।
- कोचिंग केन्द्र परिसर में ही एक e-learning centre स्थापित किया जाये जो Internet सुविधायुक्त Computer System से सुसज्जित हो। इस केंन्द्र पर आकर कोई भी विद्यार्थी, जो Lecturers में उपस्थित नहीं हो पाया है वह e-lecturers को Record कर सके ऐसी सुविधा सुनिश्चित की जावें।
- कोचिंग संस्थान जो ऑनलाईन कोचिंग सुविधा प्रदान करते है वह सभी विद्यार्थियों का समुचित रिकॉर्ड संधारित करें।
- विद्यार्थियों को रविवार अवकाश की अनिवार्यता की पालना सुनिश्चित की जावें, उस दिन कोई टेस्ट या अन्य शैक्षणिक गतिविधियॉ ना हो **सन–डे को फन–डे** बनाया जावें साथ ही साप्ताहिक अवकाश के दिन या आगामी दिवस पर किसी प्रकार का परीक्षा/टेस्ट का आयोजन नहीं रखा जावें।
- प्रत्येक छात्र के कोचिंग आई0डी0 कार्ड पर जिला पुलिस–प्रशासन, नियुक्त नोडल अधिकारी व कोचिंग संस्थान के जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी के नाम, मोबाईल नम्बर अंकित करवायें जावें। साथ ही नवीन सत्र के ब्रॉशर पर भी उक्त नम्बर अंकित करवायें एवं इजी–एक्जिट पॉलिसी अनिवार्य रूप से छपवायी जावें।
- प्रत्येक 03 माह में पेरेन्ट्स टीचर मीटिंग (PTM) आवश्यक रूप से रखी जावें ।

6. कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों पर प्रतिस्पर्धा एवं शैक्षणिक दबाव के कारण उत्पन्न हुए मानसिक तनाव एवं अवसाद के निराकरण हेतु मनोचिकित्सकीय सेवा प्रदान करने के लिये निम्नानुसार कार्यवाही कराई जावेः–

- विद्यार्थियों को संस्थान में उपलब्ध कराई गई मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन सेवा के प्रति आवश्यक रूप से मुद्रित सामग्री और नियमित सत्र आयोजित कर जागरूक किया जाये। कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सम्बत प्रदान करने एवं उनके आत्मविश्वास को उच्च रखने के लिए Clinical and counselling psychology की सुविधा प्रदान करे।
- मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन केन्द्र को Wellness Centre के रूप में संचालित किया जाये।
- Clinical psychologists के नाम व उनके द्वारा Wellness Centre में सेवाएं देने के समय की पूर्ण जानकारी विद्यार्थियों को अवश्य दी जावें।
- कोचिंग संस्थानों के परिसर में ही पौष्टिक भोजन व अल्पाहार की सुविधा उपलब्ध कराई जावें।
- कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों की सहायता के लिए/आपातकालीन सेवाओं के लिए रेफरल सेवाएं जैसे अस्पताल, डॉक्टर्स की सूची प्रदर्शित की जाये तथा विद्यार्थियों को इसकी जानकारी दी जावे।
- कोचिंग संस्थानों के शिक्षक पूर्ण संवेदनशील हो, सकारात्मक सोच के साथ विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें। किसी भी स्थिति में विद्यार्थियों को हतोत्साहित नहीं करें। इसे सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों के व्यवहार के संबंध में विद्यार्थियों से feedback form लिये जाने की व्यवस्था कराई जावे।
- कोचिंग केन्द्र के अन्दर ही प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाये तथा विद्यार्थियों को इस सुविधा की जानकारी दी जाये ताकि आवश्यकतानुसार अविलम्ब सुविधा प्राप्त कर सके।
- कोचिंग सेन्टर/छात्रावास संचालक विद्यार्थियों के अस्वस्थ होने की स्थिति में उनके अभिभावकों के आने तक केयर टेकर के रूप में कार्य करेंगे। इस हेतु केयर टेकर के रूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संगठनों के वोलंटियर्स, एनसीसी, एनएसएस के वोलंटियर्स एवं सेवानिवृत्त राजकीय कार्मिकों का सहयोग लिया जावे।

7. कोचिंग संस्थानों द्वारा प्रवेशित तथा छात्रावास/PGs में निवास करने वाले विद्यार्थियों की पूर्ण सूरक्षा हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :–
   - PG व छात्रावासों में निवास के लिए एक Uniform formate लागू किया जाये जिसमें विद्यार्थियों का विवरण अभिभावकों के सम्पर्क की सूचना, मासिक किराया, रिफण्ड की नीति/व्यवस्था, प्रक्रिया, दी जाने वाली सुविधाऐं तथा उनके नियमों का अंकन हो। यह विवरण PG/छात्रावास मालिक/संचालक व विद्यार्थियों के पास रहे।
   - कोचिंग संस्थानों/छात्रावासों में कार्यरत समस्त स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से करवाया जावें।
   - विद्यार्थियों के कोचिंग संस्थानों तथा छात्रावासों में आने–जाने के समय की कारण सहित प्रविष्टि रजिस्टर में कराई जाये। छात्रावासों एवं कोचिंग संस्थानों में बाहर से आने वाले व्यक्तियों का पूरा रिकार्ड यथा व्यक्तिगत पहचान पत्र, मोबाईल नम्बर व आगमन का उद्देश्य इत्यादि का विवरण आवश्यक रूप से आवक जावक रजिस्टर में संचारित किया जावें।
   - सांयकालीन Coaching Classes से आने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए छात्रावास/PG के आसपास समुचित रोशनी रखी जावे अंधेरा नहीं हो।
   - कोचिंग संस्थानों के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड एवं पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी उपकरण लगाया जाना सुनिश्चित किया जाये।
   - स्वच्छ पेयजल व साफ–सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जावें।

8. कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए निम्नानुसार व्यवस्थाऐं सुनिश्चित की जावे–
   - विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए कोचिंग संस्थानों में जागरूकता सप्ताह आयोजित किया जावें इस हेतु जिला स्तरीय समिति अनुभवी मनोविशेषज्ञों का पैनल तैयार करवाकर उनकी सेवाऐं लेने हेतु व्यवस्था करायें।

- तनाव रोकने के संबंध में नियमित रूप से विद्यार्थियों के लिए कार्यशालाएं आयोजित कराई जावें। इस हेतु जिला प्रशासन सभी कोचिंग संस्थानों से मासिक कार्यक्रम तैयार करवाकर उसकी प्रभावी क्रियान्विती सुनिश्चत करावें।
- विद्यार्थियों को डराने धमकाने या दबावपूर्वक कार्य करने के लिए विवश करने वाले शरारती तत्वों के विरुद्ध विद्यार्थियों को संवेदनशील व जागरूक किया जावे। ऐसी स्थिति की शिकायत करने के लिए संबंधित पुलिस थाने का सम्पर्क दूरभाष नम्बर व हेल्पलाईन नम्बर विद्यार्थियों को दिया जावें।
- नियमित Case Study/discussion/conferenc मे आयोजित कर विद्यार्थियों की समस्याओं के निपटने के वैकल्पिक तरीके बताये जावें।
- व्यावसायिक व्यवस्थाओं एवं नीतियों पर नियमित कार्यशालायें Regular workshops आयोजित की जावे ताकि कोचिंग संस्थान अपने व्यवसाय के साथ–साथ विद्यार्थियों की सुरक्षा य उनकी समस्याओं का निवारण संवेदनशीलता में कर सकें।

9. कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सुरक्षा के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जावे–
   - कोचिंग संस्थान व अभिभावकों के पास विद्यार्थियों का नवीनतम आवास का पता व मोबाईल नम्बर हो इसकी सुनिश्चितता कि जावें।
   - छात्रावासों एवं पी.जी सुविधाओं के आस–पास क्षेत्रों में नियमित पुलिस गश्त को प्रभावी बनाया जावे।
   - पुलिस थानो में छात्र–छात्राओं हेतु पृथक से हेल्प डेस्क की व्यवस्था की जाये तथा इसकी जानकारी उन्हें दी जावें।
   - नए कोचिंग सेन्टर खोलने/पंजीकरण से पूर्व संस्था इस बात को सुनिश्चित कर लेवें कि कोचिंग सेन्टर के आस पास शराब व अन्य मादक पदार्थ की बिकी न हो रही हो।
   - पहले से स्थापित कोचिंग संस्थानों/छात्रावासे के 100 मीटर के दायरे में शराब व अन्य मादक पदार्थ की बिक्री को रोकने हेतु कोचिंग संस्थान आबकारी विभाग को अवगत करवाकर आवश्यक कार्यवाही करावें।

विद्यार्थियों की कोचिंग संस्थान में आने की उपस्थिति बॉयोमेट्रिक सिस्टम से आवश्यक रूप से दर्ज करवाई जावें तथा कोचिंग संस्थान में आने वाले आगन्तुकों के लिये एक मूवमेन्ट रजिस्टर/इलेक्ट्रोनिक उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था हो जिससे कोचिंग संस्थान में अन्य किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर निगरानी हो सकें तथा जिसकी जानकारी अभिभावकों को हो सके।

जिला कलक्टर,
कोटा
15, दिसम्बर 2022

क्रमांकःसामान्य/2022/3502
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त सचिव महोदय, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग राजस्थान जयपुर।
2. पुलिस अधीक्षक जिला कोटा शहर।
3. अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0/शहर) कोटा।
4. आयुक्त, नगर निगम कोटा–उत्तर/दक्षिण कोटा
5. सचिव, नगर विकास न्यास कोटा/अति0 आयुक्त आबकारी कोटा।
6. अति0 पुलिस अधीक्षक कोटा शहर कोटा।
7. अति0 आयुक्त नगर निगम कोटा–दक्षिण/उत्तर।
8. उपायुक्त नगर निगम कोटा–उत्तर/दक्षिण ।
9. उप सचिव, नगर विकास न्यास, द्वितीय/तृतीय कोटा।
10. उप महानिरीक्षक, पंजीयन एव मुद्रांक कोटा/जिला रसद अधिकारी, कोटा।
11. उपखण्ड अधिकारी, कोटा/सहायक कलक्टर मुख्यालय कोटा।
12. प्राचार्य मेडिकल कॉलेज/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा।

13. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा संभाग कोटा/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा कोटा।
14. उप निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क/सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार/महिला अधिकारिता विभाग कोटा।
15. डॉ. विनोद कुमार दडिया, सह आचार्य, मनोचिकित्सक, मेडिकल कॉलेज कोटा।
16. सदस्य जिला स्तरीय समिति .....
17. समस्त कोचिंग संस्थान/हॉस्टल/पी0जी0 संचालक, कोटा ।
18. निजी सहायक, जिला कलक्टर कोटा

जिला कलक्टर,
कोटा